

## फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री उदयलाल

यनाम

विपक्षी - श्री कलाशचन्द्र

किस्म मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

पत्रावली संख्या : 30/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 09.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 से 7 उपस्थित। अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 8, 9 की तरफ से वकालत पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 8, 9 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 8, 9 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 से 7 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 4 से 7 का जवाब का अवसर यद किया जाता है। विपक्षी संख्या 10 द्वारा जवाब नहीं देना चाहिए। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दरतावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुरखा सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

### -: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लूणदा पटवार हल्का लूणदा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमावंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 25 की आराजी न. 820, 821 कित्ता 2 रकबा 0.4600 है। भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

